न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 44/17 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2017/00054

अनवान्

1. श्रीमती इन्द्राबाई पुत्री किशना पत्नी खेमराज कुम्हार निवासी सेमा, नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती कंकु पुत्री किशना पत्नी दल्ला कुम्हार निवासी गुमानपुरा तहसील वल्लभनगर।

..............प्रार्थीगण

बनाम

1. अणचाई बाई पुत्री किशना कुम्हार निवासी भीमल गडवाडा तहसील मावली।
2. श्री प्रेमशंकर माता लक्ष्मीबाई पिता वरदीचन्द कुम्हार निवासी वल्लभनगर तहसील वल्लभनगर।
3. श्री अशोक माता लक्ष्मीबाई पिता वरदीचन्द कुम्हार निवासी वल्लभनगर तहसील वल्लभनगर।
4. श्री ओमप्रकाश माता लक्ष्मीबाई पिता वरदीचन्द कुम्हार निवासी वल्लभनगर तहसील वल्लभनगर।
5. श्रीमती पुष्पा माता लक्ष्मीबाई पत्नी प्रकाश प्रजापत कुम्हार निवासी कुम्हारवाडा नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
7. उप पंजीयन अधिकारी मावली तहसील मावली।
8. पटवारी, पटवार हल्का नुरडा तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री पवन सेन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 से 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 23.09.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा पिपरोली पटवार हल्का नुरडा तहसील मावली के आराजी नम्बर 676 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 व खातेदार मोहनलाल, लक्ष्मीबाई पिता किशना मु. देउबाई बेवा किशना कुम्हार के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज हैं। खातेदार मोहनलाल लाऔलाद फौत हो चुका है एवं देउबाई का भी नि[धन हो] चुका है जिनके वारिस हम प्रार्थीगण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:47 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 से 5 हैं। खातेदार लक्ष्मीबाई का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस विपक्षी संख्या 2 से 5 हैं।

2. यह कि हम प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 5 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

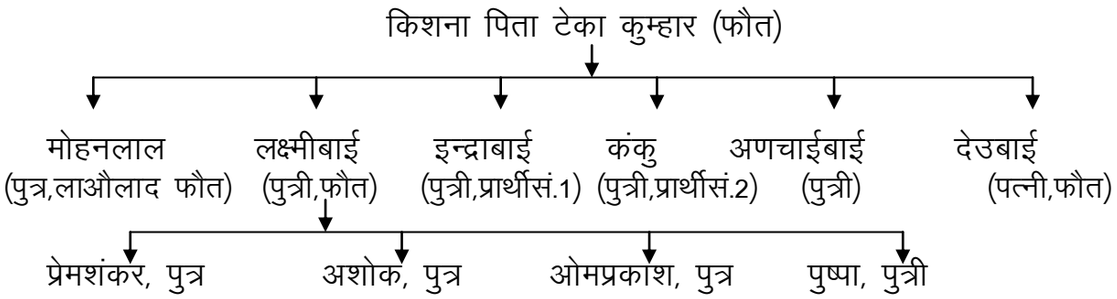

उक्त सजरे अनुसार हम प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 5 के मुल पुरूष किशना जी थे जिनके एक पुत्र मोहनलाल हुआ एवं चार पुत्रीया लक्ष्मीबाई, इन्द्राबाई (प्रार्थी संख्या 1), कंकु (प्रार्थी संख्या 2), अणचाईबाई एवं पत्नी देऊबाई हुई हैं। मोहनलाल लाऔलाद फौत हो चुका है तथा देऊबाई का निधन हो चुका हैं जिनके वारिसान हम प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 से 5 है तथा लक्ष्मीबाई का भी निधन हो चुका है जिनके वारिस विपक्षी संख्या 2 से 5 हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पूर्व में हम प्रार्थीगण के पिता किशना पिता टेका कुम्हार के नाम पर दर्ज थी तथा किशना जी के मरने के बाद विरासत से जरिए इन्तकाल संख्या 614 दिनांक 05.10.2007 से उनके पुत्र मोहनलाल, पुत्री लक्ष्मीबाई, अणचाईबाई एवं हमारी माता देऊबाई बेवा किशना कुम्हार के नाम पर विरासत से दर्ज हुई है जो हम प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 5 की पैतृक सम्पति है जिसमें हम प्रार्थीगण को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है और हम प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में अपने हिस्सा भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हैं। उक्त वर्णित आराजीयात में मोहनलाल, लक्ष्मीबाई, अणचाईबाई एवं माता देऊबाई ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर हम प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं करा स्वर्गीय किशना जी के नाम की सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम पर ही अंकन करवा दी जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं था क्योंकि हम प्रार्थीगण भी स्वर्गीय किशनाजी की जायन्दा पुत्री होकर उनकी विधिक वारिस है जिससे हम प्रार्थीगण का भी स्व. किशनाजी के नाम दर्ज कृषि भूमियों में नाम दर्ज होना चाहिए था। इसलिए हम प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में हिस्सेनुसार अपनी पैतृक कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारीणी है इसलिए माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:47 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि हम प्रार्थीगण का मजबूत प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी हम प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है जिस पर हम प्रार्थीगण अपने हिस्सा भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करती आ रही है लेकिन प्रार्थीगण के पिता के स्वर्गवास के बाद विपक्षी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 2 से 5 की माता लक्ष्मीबाई एवं मोहनलाल, देउबाई द्वारा जानबुझकर हमें हमारे हक हिस्से से वंचित करने की नियत से विरासत से खुलने वाले नामान्तरकरण में हमारा नाम दर्ज नहीं कराया और अपने नाम पर ही अंकन करवा दिया तथा वर्तमान में हम प्रार्थीगण का हिस्सा हमारे नाम पर दर्ज नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 से 5 हम प्रार्थीगण को हमारे कब्जे हिस्से की जमीन से जबरन बेदखल कर कब्जा करने की धमकीयां दे रहे है तथा विपक्षी संख्या 1 से 5 उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने की नियत से विक्रय करने पर आमादा हो रहे है जबकि विपक्षी संख्या 1 से 5 को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 से 5 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारीणी है कि विपक्षी संख्या 1 से 5 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, हम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, हम प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा नहीं करे, प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें तथा विपक्षी संख्या 2 से 5 अपने नाम पर नामान्तरकरण नहीं खुलावे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थीया को जो अशोधनीय क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

5. यह कि प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 01.03.2017 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 5 ने प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 5 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, विपक्षी संख्या 1 से 5 हम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, हम प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा नहीं करे, विपक्षी संख्या 2 से 5 अपने नाम पर नामान्तरकरण नहीं खुलावे, प्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:47 IST
Reason: SelfAttested

अपने हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे, राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 6 से 8 को पाबंद किया जावे कि वे ताफैसला मुल वाद उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं करे, नामान्तरकरण नहीं खोले, ताफैसला मुल वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 2 से 4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश नहीं करना चाहा।
7. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 से 4 द्वारा अपनी बहस में वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक सम्पति होना बताकर प्रार्थीगण, विपक्षीगण के विरूद्व किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होना बताकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 व खातेदार मोहनलाल, लक्ष्मीबाई, देउबाई के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि वर्तमान में खातेदार मोहनलाल लाऔलाद फौत हो चुका है एवं देउबाई का भी निधन हो चुका है जिनके वारिस हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 है। खातेदार लक्ष्मीबाई का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस विपक्षी संख्या 2 से 5 हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 की मौरूसी सम्पति है परन्तु किशना जी के मरने के बाद विरासत से जरिए मोहनलाल, लक्ष्मी, अणचाई बाई एवं माता देउबाई ने राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:47 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारियों से मिलीभगत कर हम प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं करा स्वर्गीय किशना जी के नाम की सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम पर ही अंकन करवा दी। वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति होने से हमारा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण द्वारा अपनी मौरूसी सम्पति होना बताकर पूर्व में किशना जी के नाम दर्ज होना बताया तथा किशना जी स्वर्गवास के पश्चात् विरासत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 614 दिनांक 05.10.2007 से किशना जी के वारिस मोहनलाल, लक्ष्मीबाई, अणचाईबाई एवं देउबाई के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हुई। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को मूल पुरूष किशना के समय से चली आना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर पैतृक सम्पति में घोषणा का वाद होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 व खातेदार मोहनलाल, लक्ष्मीबाई, देउबाई के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक भूमि होना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। यदि मूल वाद में वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होना साबित होता है एवं विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है जिस कारण विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द रहन, बैह, बक्षीस, विक्रय आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से सुविधा संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 व खातेदार मोहनलाल, लक्ष्मीबाई, देउबाई के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा चाही हैं। यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:47 IST
Reason: SelfAttested

पिपरोली पटवार हल्का नुरडा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 264 पर दर्ज आराजी नम्बर 676 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 व खातेदार मोहनलाल, लक्ष्मीबाई, देउबाई के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 व खातेदार मोहनलाल, लक्ष्मीबाई, देउबाई के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 2 से 5 के मौरूस के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। वर्तमान में खातेदार मोहनलाल लाऔलाद फौत हो चुका है एवं देउबाई का भी निधन हो चुका है जिनके वारिस प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 होना बताया है। खातेदार लक्ष्मीबाई का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस विपक्षी संख्या 2 से 5 होना बताया हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 की मौरूसी सम्पति है परन्तु किशना जी के मरने के बाद विरासत से जरिए मोहनलाल, लक्ष्मीबाई, अणचाई बाई एवं माता देउबाई के नाम पर अंकन होना बताया हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होकर प्रार्थीगण का जन्म से ही हक निहित होना प्रतीत होता है। भूमि विपक्षी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 2 से 5 के मौरूस के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, बैह, बक्षीस एवं नामान्तरकरण आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होंगी। प्रकरण में दिनांक 17.03.2017 से विपक्षी संख्या 1 से 5 के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय की नजीर **RLW 2005(2) page 219,** में **''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 – अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना– अपने पिता के जीवन काल में पिता की पैतृक सम्पति में हिन्दू पुत्र का अधिकार– पुत्र ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया – भूमि हस्तान्तरण की आशंका – अस्थाई निषेधाज्ञा चाही– अभिनिर्धारित – अपने पिता की पैतृक सम्पति में एक हिन्दू पुत्र का अधिकार होता है और वह उसका विभाजन करा सकता है– अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनाये रखना है और आगे किसी संभावित क्षति से सुरक्षा करना है।''** माननीय न्यायालय की उक्त नजीर इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:47 IST
Reason: SelfAttested

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौजा पिपरोली पटवार हल्का नुरडा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 के खाता संख्या 264 पर दर्ज आराजी नम्बर 676 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:47 IST
Reason: SelfAttested